शीर्ष प्राथमिकता/आवश्यक

संख्या-36/2017/2763/12-2-2017-60(6)/2017

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 05 अगस्त, 2017

विषय: फसली ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत धनराशियों के वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या: 540 बी/क0नि0-6-2017-01(बी)/2017 दिनांक 24 जून, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के माध्यम से प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसल ऋण मोचन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 24 जून, 2017 के प्रारूप दस्तावेज के पृष्ठ-14 के प्रस्तर-4 तथा प्रस्तर-4 के उप प्रस्तर (क), (ख), (ग), (घ), (ड) एवं (च) में शासनादेश संख्या-2561/ 12-2-2017-60(6)/2017 दिनांक 02 अगस्त, 2017 द्वारा फण्ड-फलो प्रक्रिया में संशोधन किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संशोधन के परिणामस्वरूप ऋण मोचन की धनराशि का भुगतान जनपद स्तर से न होकर राज्य मुख्यालय स्तर से कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाना है जिसका भुगतान जिला स्तरीय समिति द्वारा अर्ह किसानों के ऋण खातों के सापेक्ष, ऋण मोचन की धनराशि हेतु अन्तिम अनुमोदन तथा धनराशि के वितरण हेतु आपके अनुमोदन के आधार पर किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति के सह सचिव व सचिव दोनों के ऋण मोचन से संबंधित डाटा को डिजीटली लॉक करने के साथ जिला स्तरीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त को भी पोर्टल पर अंकित करते हुए लॉक किया जाना है। इस प्रकार समस्त औपचारिकाओं की पूर्ति के उपरान्त ही राज्य स्तर से धनराशि के वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

3. अतः अनुरोध है कि कृपया भुगतान के अनुमोदन के पूर्व आयोजित होने वाली जिला स्तरीय समिति की बैठक में अन्य विवरण के साथ निम्नलिखित तथ्यों का

उल्लेख कार्यवृत्त में अवश्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के स्तर से भुगतान प्रक्रिया सुगमता से सम्पन्न करायी जा सके:-

'फसल ऋण मोचन हेतु आज दिनांक--------------- को जनपद ------------ में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक में पाया गया कि विभिन्न बैंकों के कुल ------- किसान ऋण मोचन हेतु अर्ह हैं, और इनसे संबंधित फसली ऋण मोचन की धनराशि रूपये ---------- के वितरण हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है। उक्त धनराशि का वितरण शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सक्षम स्तर से सम्पादित किया जाय।'

भवदीय,

(पवन कुमार)

विशेष सचिव।

संख्या:   /2017/   /12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, लखनऊ।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)

विशेष सचिव।